

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल
jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12321/2779

दिनांक :- 18.02.19

कार्यालय आदेश

श्री/श्रीमती/सुश्री सती देओल महावर [लिंक न. 12321] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर - [20179] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 03/10/2018 से 31/10/2018 तक 29 दिवस

दिनांक 02/01/2019 से 20/01/2019 तक 19 दिवस

कुल 48 दिवस

उक्त कुल 48 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री/श्रीमती/सुश्री सती देओल महावर की सेवा पुस्तिका में (लागू स्याही में) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मुकुन्द सोहानी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12321/2779

दिनांक :- 18.02.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर
2. कोषाधिकारी जयपुर
3. श्री/श्रीमती/सुश्री सती देओल महावर [12321] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि दिनांक 21.01.2019 हेतु पृथक से आवेदन पत्र प्रस्तुत करें।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)